XII वीं प्लान निर्यात विकास और संवर्धन योजनाएं

"निर्यात विकास और संवर्धन" योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों का उद्देश्य उच्च-तकनीक वाली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को अपनानेवाले अथवा आयात करनेवाले देशों में बदलते हुए खाद्य सुरक्षा मानकों की पूर्ति करने हेतु निर्यातकों को सहायता प्रदान करना है। वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुविधा/प्रक्रिया उन्नयन को प्रोत्साहित करते हुए बोर्ड का ध्यान मसाला व्यापार की संपूर्ण आपूर्ति-श्रृंखला में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा पर केन्द्रित है। बल प्रदान किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं - अवसंरचना विकास, मसालों के नए अनुप्रयोगों पर अनुसंधान तथा नए उत्पाद का विकास, विदेश में भारतीय मसाला ब्रैंड का संवर्धन, प्रमुख मसाला उत्पादक/विपणन केन्द्रों में सामान्य स्वच्छता, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग, भण्डारण सुविधाओं (स्पाइस पार्क) के लिए अवसंरचना की स्थापना, जैव मसालों का संवर्धन, उत्तर-पूर्व के उद्यमियों के लिए विशेष कार्यक्रम आदि। बोर्ड मसाला प्रसंस्करण तथा मूल्यवर्धन में हमारी ताकतों और क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भी प्रतिभागिता कर रहा है।

सामान्य दिशा-निर्देश/प्रक्रियाएं

आवेदक को बोर्ड की निर्यात विकास योजनाओं का लाभ उठाने के लिए विनिर्दिष्ट आवेदन प्ररूप में, (वेबसाइट www.indanspices.com. पर उपलब्ध) दो प्रतियों में, प्रत्येक योजना के साथ दिए गए उनके अनुलग्नक में निर्दिष्ट सभी आवश्यक संलग्नकों के साथ मसाला बोर्ड के नजदीकी अभिहित प्रादेशिक कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

आवेदन तथा संलग्नकों की प्राप्ति पर, बोर्ड/प्रादेशिक कार्यालय (आरओ) आवेदन की प्राप्ति-सूचना देगा। आवेदक स्कीमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त सूचना और दस्तावेज प्रदान करने के लिए पूर्णत: उत्तरदायी है। अधूरे आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा यदि अपेक्षित दस्तावेजों को संलग्न नहीं किया गया है, तो आवेदन आवेदक को लौटा दिया जाएगा।

प्राप्त हुए सभी आवेदनों की प्रादेशिक / प्रधान कार्यालय द्वारा संवीक्षा की जाएगी। आवेदन की संवीक्षा कर लिए जाने तथा इसे समस्त दृष्टि से पूर्ण पाए जाने पर, आवेदक को स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।

प्राप्ति-सूचना अथवा स्वीकृति पत्र का यह अर्थ नहीं है कि आवेदन का अनुमोदन हो गया है, जब तक कि इसे अंतिम संवीक्षा और मूल्यांकन के समय सभी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया जाता है।

यदि स्वीकृति अवस्था पर आवेदन की संवीक्षा के दौरान कोई आवेदक की अपात्रता पाई जाती है तो इसकी सूचना आवेदक को दी जाती है तथा उसे कमियों में सुधार करने/अपेक्षित

दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय प्रदान किया जाता है, जिसके न किए जाने पर समस्त आवेदन और संलग्नक आवेदक को वापस कर दिए जाएंगे ताकि वह पूर्ण आवेदन को पुन: प्रस्तुत करने में समर्थ हो सके। हस्ताक्षर न किए गए तथा अदिनांकित आवेदनों को भी अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

बोर्ड के पास XII वीं प्लान अवधि के दौरान एक से अधिक दृष्टांत को संस्वीकृत करने का अधिकार है परंतु प्राप्त की गई कुल सहायता प्लान अवधि की अधिूसचित योजना के अंतर्गत अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भुगतान के लिए दावे समान प्लान अवधि/वर्ष में प्रस्तुत किए जाने होंगे जो योजना पर तथा स्पष्टीकरण की अपेक्षा के लिए लंबित पड़े दावों पर निर्भर करता है और निर्यातक से दस्तावेज प्लान अवधि से बाहर नहीं लिए जाएंगे।

1. अवसंरचना विकास योजना (आईडीएस)

योजना के अंतर्गत चार घटक हैं अर्थात् :

(1) मसाला प्रसंस्करण में उच्च-तकनीक का अंगीकरण

(2) प्रौद्योगिकी और प्रसंस्करण उन्नयन

(3) आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना करना/उसका उन्नयन करना

(4) (क) गुणवत्ता प्रमाणन जैसे आईएसओ 22000, एसक्यूएफ 2000 जीएमपी, ट्रेसेबिलिटी, एफडीए रजिस्ट्रीकरण

(ख) जांच नमूनों का विधिमान्यकरण और प्रयोगशाला कार्मिकों का प्रशिक्षण

1.क.1 बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी निर्यातक जिनके पास 50 लाख रुपए का न्यूनतम निवेश है तथा जिनके पास मसाला हाउस प्रमाण-पत्र (एसएचसी) है, आईडीएस के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इसमें उन वर्तमान प्रस्तावित परियोजना के लिए पहले से ही किया गया निवेश भी शामिल है जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तथापि, विद्यमान विनिर्माण निर्यातकों के आवेदनों, जिन्होंने सहायता के लिए आवेदन किया है परंतु उन्हें एसएचसी प्राप्त नहीं हुआ है, पर इस शर्त के साथ विचार किया जाएगा कि वे एसएचसी की समस्त अपेक्षित औपचारिकताएं और प्रक्रियाएं पूर्ण कर लेंगे तथा उनके आवेदन की तारीख से अथवा सरकार द्वारा एसएचसी के अनुमोदन/अधिसूचना, जो भी बाद में हो, से एक वर्ष के भीतर इकाई के लिए (जिसमें वे प्रस्तावित मशीन को संस्थापित करना चाहते हैं) एसएचसी प्राप्त कर लेंगे। सहायता के लिए विचार करने हेतु उनकी इकाइयों का अंतिम निरीक्षण

एसएचसी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के उपरांत ही किया जाएगा। ऐसी नई इकाइयों के मामले में, जिनके लिए सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, इकाई उनकी परियोजना के पूर्ण होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर बोर्ड से एसएचसी प्राप्त करेगी। उपर्युक्त आईडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता की अधिकतम राशि मशीन और उपकरण की लागत के 33 प्रतिशत तक सीमित है जो सामान्य क्षेत्रों में अधिकतम 1.00 करोड़ रुपए प्रतिनिर्यातक तथा फलाना अवधि में विशेष क्षेत्रों में लागत की 50 प्रतिशत तथा अधिकतम 2.00 करोड़ रुपए के अध्यधीन है।

1.क 2. दो सेटों में अनुलग्नकों के साथ अवसंरचना विकास योजना (आईडीएस) के लिए आवेदन उस परियोजना, जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, के आरंभ होने से कम-से-कम 45 दिन पूर्व निकटतम प्रादेशिक कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

1.क 3. **चार्टर्ड इंजीनियर मूल्यांकन** के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (दो प्रतियों में) तथा मूल प्रतियों में कोटेशन और अन्य दस्तावेज मूल आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने होंगे। अन्य दस्तावेजों के लिए, आवेदन के साथ केवल स्व-सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत की जानी हैं।

1.क 4. बोर्ड द्वारा एक बार सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिए जाने के उपरांत परियोजना रिपोर्ट में दर्शाए गए घटकों/उपकरणों को परिवर्तित किए जाने की अनुमति नहीं है।

यहां तक कि घटक /उपकरणों में किए जाने वाले छोटे-मोटे परिवर्तनों को भी उनके औचित्य के साथ लिखित रूप में बोर्ड को सूचित किए जाने की ज़रूरत है तथा उसके लिए पूर्वानुमति प्राप्त की जानी है।

1.क 5. यदि घटकों/उपकरणों में कोई प्रमुख परिवर्तन किए जाने प्रस्तावित हैं, जो परियोजना प्रस्ताव की आर्थिक और तकनीकी व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकते हैं जिन्हें पहले ही बोर्ड को प्रस्तुत कर दिया गया है तथा जिनके लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, तो पूर्व के प्रस्ताव को वापस ले लिया जा सकता है और नया परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होगी तथा इसे इसके प्रस्तुत किए जाने की तारीख से नया आवेदन मान लिया जाएगा और पूर्व में देखी गई समस्त औपचारिकताओं को परियोजना के मूल्यांकन के साथ पुन: देखे जाने की आवश्यकता होगी। ऐसे मामले में, परियोजना के मूल्यांकन की व्यय की गई लागत पूर्णत: आवेदक द्वारा वहन की जानी है ।

1.क 6. किसी इकाई अथवा स्थान विशेष में एक बार स्थापित किए गए घटकों/मशीनों/उपकरणों, जिनके लिए सहायता अनुदान प्राप्त किया गया है, को किसी अन्य स्थान/इकाई में स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं होगी तथा ऐसे किसी भी स्थानांतरण के लिए अनुरोध पर निर्यात-बाध्यता की पूर्ति होने तक विचार नहीं किया जाएगा।

1.क 7. विद्यमान निर्यातकों के मामले में, पिछले तीन वर्षों के लिए निर्यात निष्पादन (मसाले तथा मसालों के उत्पाद) का उल्लेख प्रासंगिक कॉलम में मात्रा (एमटी) और मूल्य (रुपए लाख) के संदर्भ में किया जाना चाहिए। पिछले पांच वर्षों के लिए अनुमानित निर्यात का वर्ष-वार उल्लेख भी सभी निर्यातकों द्वारा उपयुक्त कॉलम में किया जाना चाहिए।

1.क 8. मासिक निर्यात विवरणी 'शून्य' निर्यात के मामले में भी बोर्ड को दाखिल की जानी होगी। बोर्ड केवल निर्यात विवरणियों के सत्यापन तथा उसके उपरांत लाभार्थी द्वारा प्राप्त किए गए निष्पादन के पश्चात् ही सहायता अनुदान अथवा बैंक गारंटी जारी करने पर विचार करेगा। आवेदक की ओर से किया जानेवाला अननुपालन सहायता अनुदान अथवा बैंक गारंटी समय पर निरमोचित ना होने में परिणत होगी ।

1.क 9. विधिवत् रूप से भरे गए आवेदन वचन, घोषणा और प्रमाण-पत्र के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उन पर मुहर लगाई जाएगी। कंपनी के स्वामित्व/प्रबंधन/स्थिति में किसी भी परिवर्तन को सहायक दस्तावेजों के साथ मसाला बोर्ड को लिखित अनुरोध भेजकर अनुमोदित कराया जाना चाहिए।

1.क 10. सद्धांतिक अनुमोदन इसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष तक वैध रहेगा। आवेदक के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह क्रियाकलाप की प्रगति से मसाला बोर्ड को अवगत कराए तथा आवश्यक होने पर ऐसे पत्र की मूल वैधता के समापन के काफी पहले समुचित औचित्य के साथ सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन-पत्र की वैधता का लिखित विस्तार प्राप्त करे। बोर्ड के अधिकारी एक बार सद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किए जाने पर आरंभ किए गए कार्य की प्रगति का आकलन करने के लिए आवधिक रूप से स्थल पर निरीक्षण भी संचालित करेंगे।

1.क 11. समस्त भुगतान केवल बैंकों के माध्यम से किए जाएंगे। केवल बैंकों के माध्यम से किए गए तथा बैंक विवरणियों में परिलक्षित भुगतानों पर ही पात्र सहायता अनुदान के परिकलन के लिए विचार किया जाएगा। भूमि और भवन की लागत पर आईडीएस योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा। परियोजना से संबंधित छुट-पुट व्ययों के लिए नकद भुगतान पर केवल 25,000/- रुपए तक ही विचार किया जाता।

1.क 12. परियोजना के पूर्ण होने पर, आवेदक द्वारा बोर्ड को परियोजना पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसके साथ बिलों/वाउचरों/रसीदों (स्व-सत्यापित), चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय के विवरण, बैंक विवरणी जिसमें परियोजना के अर्हक क्रियाकलापों/घटकों के लिए जारी भुगतानों के विवरण दिए गए हों, की प्रतियां अथवा इकाई का निरीक्षण संचालित करने के लिए परियोजना हेतु किए-गए भुगतान से संबंधित डिमांड ड्राफ्ट की प्रतियां तथा इस संबंध में घोषणा भी शामिल होगी कि अनुमोदित परियोजना से कोई विपथन नहीं किया गया है।

इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया जाना है कि समान परियोजना और घटकों/मशीनरी के लिए किसी अन्य स्रोत से किसी सहायता अनुदान के लिए आवेदन नहीं किया गया है अथवा वह प्राप्त नहीं हुआ है (अनुबंध - ख)।

घटक 4(ख) के मामले में, आवेदक को वायूमार्ग के बिल की प्रति, विधिमान्यकरण / मानकीकरण के लिए विदेश भेजे गए नमूनों के विश्लेषणात्मक चार्जों के लिए बीजक तथा उस प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट की प्रति जिसमें नमूने की जांच की गई है, कूरियर एजेंट से रसीद तथा भुगतान प्राप्त करने के लिए पी ओ डी स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

1.क 13. निरीक्षण के दौरान, आवेदक को निरीक्षण अधिकारियों के सम्मुख सभी बिलों की मूल प्रतियां प्रस्तुत/प्रदर्शित करनी चाहिए। पूर्णता/संस्थापना प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते समय सभी बिलों को मूल रूप में प्रस्तुत करने का विकल्प भी दिया जाता है। बिलों के खण्डों में प्रस्तुतीकरण पर विचार नहीं किया जाता ।

1.क 14. केवल प्रधान कार्यालय/प्रादेशिक कार्यालय को प्रस्तुत पूर्ण आवेदन की स्वीकृति की **तारीख के पश्चात्** प्रदत्त भुगतान को ही, जिसकी मुहर द्वारा विधिवत् रूप से पावती दी गई हो, सहायता अनुदान का परिकलन करते समय हिसाब में लिया जाएगा।

1.क 15. यदि कोई दस्तावेज/बिल/कोटेशन/प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा असत्य और/अथवा छिपाई गई सूचना के साथ प्रस्तुत किया गया पाया जाता है, तो बोर्ड के पास आवेदक को नोटिस जारी करने तथा बैंक गारंटी को जब्त करने का अधिकार होगा।

1.क 16. बोर्ड केवल उस मशीनरी/उपकरणों का ही वित्त-पोषण केरगा जो मसाला और मसाला उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए प्रत्यक्षत: आशयित है। **पुरानी प्रयुक्त मशीनरी सहायता के लिए पात्र नहीं है।**

1.क 17. उच्च-तकनीक परियोजना/प्रौद्योगिकी उन्नयन की समाप्ति के लिए अनुमत्त अधिकतम अवधि सामान्यत: दो वर्ष होगी । दो वर्ष के पश्चात् किसी भी विस्तार पर समुचित औचित्य होने के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा।

1.क 18. विस्तार एवं उन्नयन/समान इकाई के आधुनिकीकरण जिसके लिए समान स्थान अथवा क्रियाकलाप में स्थापना के लिए पहले ही अनुदान प्राप्त कर लिया है, के लिए द्वितीय अनुदान पर विचार अधिकतम पात्र सीमा के अध्यधीन होगा।

1.क 19. संयंत्र और मशीनों तथा अनिवार्य/आनुषंगिक उपकरणों, जो अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियाकलापों से संबंधित प्रक्रिया और उत्पादन से संबद्ध है, से संबंधित समस्त व्ययों पर ही सहायता के लिए विचार किया जाएगा। केवल उन्हीं व्ययों पर ही सहायता अनुदान का आकलन करने के लिए विचार किया जाएगा, जो उन कार्यात्मक प्रयोजनों, जिन्हें बोर्ड द्वारा अनुमोदित

किया है, के लिए मशीनरी/उपकरण की स्थापना और संस्थापना के लिए उपगत किए गए है। ऐसे उपकरणों की स्थापना के लिए संभावित व्यय को आवेदन प्रस्तुत करते समय दर्शाया जाए।

1.क 20. आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कोट किए गए मूल्यों में परिवहन, बीमा, मालभाड़ा, कर आदि को अंतिम बिल में अलग-अलग दर्शाया जाना चाहिए।

1.क 21. सहायता अनुदान जारी करने के लिए पात्र पाए गए आवेदकों को बोर्ड के साथ इस संबंध में यह करार करना अपेक्षित है कि वे पूर्ववर्ती तीन वर्षों में प्राप्त किए गए निर्यात निष्पादन (औसत) के अतिरिक्त पाँच वर्ष की अवधि के भीतर सहायता अनुदान के **दस गुना** मूल्य के मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात करेंगे और पांच वर्ष की न्यूनतम वैधता के साथ सहायता अनुदान के रूप में जारी की जाने वाली राशि के 110 प्रतिशत के समतुल्य बैंक गारंटी की पेशकश करनी होंगी। निर्यात दायित्व का निर्वहन करने के लिए लाभार्थी द्वारा प्रत्यक्षत: किए गए निर्यात, यदि कोई है, तथा साथ ही लाभार्थी द्वारा निर्यात के लिए अन्य निर्यातकों को दी गई आपूर्ति (मानक निर्यात) पर विचार किया जाएगा। बैंक गारंटी तब तत्काल जारी कर दी जाएगी जैसे ही आवेदक अपेक्षित निर्यात दायित्व की पूर्ति कर लेता है तथा बैंक और चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित एक कथन प्रस्तुत कर देता है। यदि निर्यातक निर्यात दायित्व की पूर्ति करने में असफल रहता है तो बैंक गारंटी ब्याज के साथ पूर्ति न किए गए निर्यात दायित्व के अनुपात में निर्यात-बाध्यता पूरी करने हेतु कोई ढील नहीं दी जाएगी। किसी भी निर्यातक को निर्यात दायित्व की पूर्ति करने के लिए पाँच वर्ष से अधिक समय का विस्तार नहीं दिया जाएगा।

1.क 22. संयंत्र/मशीनरी/उपकरणों की संस्वीकृति के लिए, जहां ईपीसीजी तथा सेनवेट भुगतान शामिल हैं, निर्यातकों को क्रेडिट का लाभ उठाने के संबंध में शपथ-पत्र और साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

1.क 23. इन-हाउस गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन के अंतर्गत, प्रयोगशाला उपस्करों/उपकरणों, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला के फर्नीचर और अन्य उपांगों, जिनमें विद्युत स्थापनाएं तथा परामर्श चार्जों भी शामिल हैं, को सहायता प्रदान की जाएगी।

1.क 24. गुणवत्ता प्रमाणन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसंस्करण इकाइयों के प्रत्यायन/प्रमाणन की लागत (नवीकरण सहित), विदेश में प्रयोगशालाओं में विधिमान्यकरण/मानकीकरण के लिए विश्लेषणात्मक चार्जों की लागत तथा अधिमानत: आई एस एफ डी, ई डी आदि द्वारा अनुमोदित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में निर्यातकों के प्रयोगशाला कार्मिकों को तकनीकी ज्ञान के उन्नयन के लिए चार्ज/व्यय शामिल है।

2. व्यापार संवर्धन

क. व्यापार नमूनों को विदेश भेजना

2.क. 1. सभी पंजीकृत निर्यातक, जिनके पास स्पाइस हाउस प्रमाण-पत्र/बोर्ड के साथ ब्रैंड पंजीकरण/जैव प्रमाणन है, वे योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। कूरियर चार्जों की प्रतिपूर्ति के लिए पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

2.क. 2. कूरियर चार्जों की प्रतिपूर्ति के लिए दावों पर विचार केवल तिमाही आधार पर किया जाएगा तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही से संबधित बिल 31 मार्च तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए।

2.क. 3. निर्यातकों को, आवेदन के साथ कूरियर वेबिल की मूल प्रति, पीओडी तथा भेजे गए कूरियर के भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। व्यापारिक नमूने विदेश भेजने के लिए सहायता की राशि 50,000/- रुपए प्रति निर्यातक प्रतिवर्ष है।

ख. संवर्धनात्मक साहित्य/विवरणिकाओं का मुद्रण

2.ख. 1. समस्त पंजीकृत निर्यातक, जिनके पास स्पाइस हाउस लॉगो है, ब्रैंड पंजीकरण / बोर्ड के साथ जैव प्रमाणन है, योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है।

2.ख. 2. आवेदक को विभिन्न दस्तावेजों के साथ विनिर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा जैसे स्पाइस हाउस/लॉगो, जैव प्रमाणन, ब्रैंड पंजीकरण की प्रति; संवर्धात्मक क्रियाकलाप के विवरण तथा साथ ही साहित्य/विवरणिका का मसौदा और परामर्श, डिजाइन, मुद्रण कागज के लिए कोटेशन (नमूने सहित)।

2.ख. 3. उपर्युक्त दस्तावेजों तथा आवेदन के समर्थन में अपेक्षित किसी अन्य अतिरिक्त दस्तावेज के आधार पर, बोर्ड कार्य आरंभ करने के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान करेगा।

2.ख. 4. क्रियाकलाप के पूर्ण हो जाने पर, आवेदक मुद्रित साहित्य/विवरणिका/सीडी/वीडियो फिल्म के अंतिम संस्करण (दो प्रतियां), बिलों, वाउचरों और रसीदों की प्रतियां (स्व-सत्यापित), मुद्रण/परामर्श चार्जों के भुगतान का साक्ष्य तथा किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट से विधिवत रूप से प्रमाणित समेकित व्यय का विवरण प्रस्तुत करेगा।

2.ख. 5. मुद्रित विवरणिका में मुद्रित प्रतियों की संख्या, मुद्रण का वर्ष तथा मुद्रक का नाम जैसे विवरण दिए गए होने चाहिए। सहायता लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित है तथा यह योजना अवधि के दौरान अधिकतम 2.00 लाख रुपए प्रति विवरणिका प्रति निर्यातक के लिए दो बार के अध्यधीन है।

ग. पैकेजिंग विकास तथा बार कोडिंग पंजीकरण

2.ग. 1. सभी पंजीकृत निर्यातक इस घटक के अधीन अपने निर्यात पैकेजों का विकास करने अथवा उसमें आशोधन करने केलिए सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं । ऐसे निर्यातकों को, जिनके पास ब्रैंड है लिकिन बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत नहीं है, योजना के अंतर्गत आवेदन के साथ अपने ब्रांड पंजीकरण आवेदन भी प्रस्तुत करना चाहिए।

2.ग. 2 निर्यातक को आवेदन के साथ परामर्श के लिए विषय-वस्तु और कोटेशन, डिजाइन की लागत, फोटोग्राफी, आर्ट वर्क, सिलेंडरों के साथ डिजाइन का डमी प्रिंट तथा साथ ही बार कोडिंग पंजीकरण/ट्रेसेबिलिटी के विवरण भी प्रस्तुत करने चाहिए जिनके आधार पर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। विकसित और/अथवा आशोधित पैकेज अनुमोदन के लिए भारतीय पैकेजिंग संस्थान को भेजे जाने हैं और जिसके आधार पर ही भुगतान का निर्मोचन किया जाएगा।

2.ग. 3 निर्यातक को उन सभी घटकों के लिए बिल और वाउचर प्रस्तुत करने होंगे जिनके लिए अनुमोदन दिया गया था तथा भारतीय पैकजिंग संस्थान द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र के साथ भुगतान के सभी सबूत प्रस्तुत किए जाने होंगे जिनमें बार कोडिंग पंजीकरण, ट्रेसेबिलिटी मानकों के लिए भुगतान (यदि कोई उपगत किया गया है) की रसीदें भी शामिल हैं।

2.ग. 4 आईआईपी द्वारा अनुमोदित ब्रैंडवाले पैकेज इस अवस्था पर बोर्ड द्वारा पंजीकृत किए जाएंगे। विकसित किए गए पैकेजों को लेबलिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करना चाहिए अर्थात् संघटकों के विवरण, पोषण-संबंधी तथ्य, शाकाहारी अथवा मांसाहारी के बारे में घोषणा, खाद्य-योजकों, निवल मात्रा, विनिर्माण की तारीख, किसके द्वारा पैकेज/विनिर्माण किया गया, सुरक्षित उपभोग की अवधि (तारीख) आदि।

2.ग. 5 उपर्युक्त क्रियाकलापों/घटकों के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए कोई निर्यात-बाध्यता निर्दिष्ट नहीं की गई है।

3. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले और बैठकें

3.क. 1 कार्यक्रम के अंतर्गत दो घटक शामिल है, अर्थात्

(1) अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता

(2) अंतर्राष्ट्रीय बैठकों/संगोष्ठियों में प्रतिभागिता को विपणि विस्तार के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

3.क. 2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता के बारे में, सभी पंजीकृत निर्यातक जो स्पाइस हाउस प्रमाण-पत्र/ लॉगो धारक है /बोर्ड के साथ ब्रैंड पंजीकरण रखने वाले निर्यातक अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति के आधार पर सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। मसाला उद्योग के आम मुद्दों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैठकों/संगोष्ठियों में प्रतिभागिता के लिए निर्यातक संघ अथवा संघ द्वारा नामित फोरम के प्रतिनिधि सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

3.क. 3 प्रस्तावित क्रियाकलाप को दर्शाने वाले आवेदन विनिर्दिष्ट प्ररूप में कार्यक्रम के आरंभ होने से कम-से-कम 15 दिन पूर्व मसाला बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। आवेदन के आधार पर तथा प्रलेखन के समर्थन में किसी अन्य अतिरिक्त दस्तावेज/विवरण पर विचार करते हुए बोर्ड क्रियाकलाप के साथ आगे बढ़ने के लिए सैद्धान्तिक रूप में अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

3.क. 4 क्रियाकलाप की समाप्ति के तुरंत पश्चात परंतु भारत में उसकी वापसी से हर हाल में 90 दिन के भीतर, लाभार्थी भाग लिए गए क्रियाकलाप तथा उसमें हासिल की गई उपलब्धि के बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट, पासपोर्ट की स्पष्ट फोटोप्रति जिसमें भारत से प्रस्थान और आगमन तथा साथ ही यात्रा किए गए देशों की प्रविष्टियों को दर्शाया गया हो, अथवा दस्तावेजी साक्ष्य जैसे होटल के बिल, बोर्डिंग पास आदि, यात्रा के दौरान प्रयोग की गई हवाई टिकट/जैकेट की प्रति, हवाई किराए के भुगतान का साक्ष्य (बिल/रसीदें), रसीद की स्व-सत्यापित प्रतियां, बैंक बीजक, आदि स्टॉल चार्जों और विद्युत (यथालागू) के लिए किए गए भुगतानों के विवरण, बोर्ड से भुगतान हेतु पात्र राशि के लिए मुहर अंकित अग्रिम नकदी रसीद प्रस्तुत करेगा।

3.क.5 दावों की प्राप्ति पर, मामले पर विचार किया जाएगा तथा अनुदान की प्रतिपूर्ति मसाला बोर्ड/एमडीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी। उपर्युक्त क्रियाकलापों/घटकों के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु कोई निर्यात बाध्यता निर्दिष्ट नहीं की गई है।

4. विदेशों में भारतीय मसाला ब्रैंडों का संवर्धन

4.अ. 1. मसालों के सभी पंजीकृत निर्यातक जिन्होंने अपने ब्रैंडों को बोर्ड के पास पंजीकृत किया या जो स्पाइस हाउस प्रमाण-पत्र (एसएचसी)/भारतीय मसाला लॉगो/जैव प्रमाणन धारक हैं, लाभ उठाने केलिए पात्र हैं। ऐसी इकाइयों के मामले में, जिनके पास एस एच सी नहीं है, निर्यात को प्रस्ताव के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के भीतर और/अथवा सरकार द्वारा एस एच सी के संशोधित अधिसूचना के अनुसार, जो भी पहले हो, एस एच सी प्राप्त करना होगा जिसके उपरांत ही सहायता की पश्चातवर्ती किस्तें जारी की जाएंगी।

4.अ.2 स्लॉटिंग/लिस्टिंग फीस तथा प्रोत्साहन उपायों के लिए 110 प्रतिशत व्यय की पूर्ति तथा उत्पाद विकास की लागत के 50 प्रतिशत की पूर्ति के लिए ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जाता है जो प्रति ब्रैंड अधिकतम 1.00 करोड़ रुपए के अध्यधीन है। निर्यातक योजना अवधि में अधिकतम पांच देशों में निर्दिष्ट ब्रैंड को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है।

4.अ.3. कार्यक्रम के अंतर्गत दो घटक हैं, अर्थात् (क) उत्पाद और पैकेजिंग विकास एवं बार कोडिंग तथा (ख) ब्रांड प्रोत्साहन।

4.अ.4. उपयुक्त उत्पाद विकसित करना, पैकेजिंग तथा लक्ष्य बाजारों में लागू सांविधित अपेक्षाओं का अनुपालन जिसमें इन बाजारों में ब्राडों को प्रोत्साहित करते समय ट्रेसेबिलिटी/लेबलिंग एंड बार कोडिंग अपेक्षाएं भी सहायता में शामिल होंगे।

4.अ.5. पाचीस कि .ग्रा. तक के सांस्थानिक पैकों में सभी रूपों में मसालों तथा सभी रूपों में मसालों के उपभोक्ता पैकों में मसालों, जिसमें करी पाउडर तथा पांच कि.ग्रा. तक के मिश्रित पिसे मसाले भी शामिल हैं, के निर्यात केलिए सहायता प्राप्त करने के लिए अर्हक होगा।

4.अ.6. निर्यातकों को अनुमोदित कार्यक्रमों के अनुसार ब्रैंड प्रोत्साहन के लिए उनके अनुमानित वार्षिक व्यय के लिए निधि उपलब्ध कराई जाती है । विदेशी मुद्रा की आवश्यकता, यदि कोई हो, की पूर्ति निर्यातक द्वारा ही की जानी है।

4.अ.7. निर्यातक को विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किए जाने वाले विपणि संवर्धन क्रियाकलापों के विस्तृत प्रस्ताव की प्रतियाँ तथा प्रत्येक वर्ग में लागत के अलग-अलग विवरणों को शामिल करने वाला प्रस्ताव अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत करना है।

4.अ.8. निर्यातक मसाला बोर्ड द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा जो प्रस्ताव का मूल्यांकन तथा उसका अनुमोदन करेगी।

4.अ.9. कार्यक्रम के लिए ऋण की कुल अनुमोदित राशि प्रत्येक वर्ष के आरंभ में तीन समान किस्तों में जारी की जाएगी। ऋण के जारी किए जाने से पूर्व निर्यातक को 100 रुपए के स्टांप पेपर पर विनिर्दिष्ट **प्रपत्र में एक बैंक गारंटी उपलब्ध करानी होगी जिसमें संस्वीकृत किए गए ऋण के 110 प्रतिशत के लिए ब्याज भी शामिल होगा।** इस गारंटी को इसकी समाप्ति की तारीख से पूर्व ही नवीकृत किया जाना है । जब कभी ऋण की आगामी किस्तों संस्वीकृत/जारी की जाती हैं, तब-तब बैंक गारंटी में भी वृद्धि की जानी है तथा स्टांप पत्र पर एक संशोधन बोर्ड के लिए निष्पादित किया जाना चाहिए।

4.अ.10. ऋण का पुनर्भुगतान समान वार्षिक किस्तों में किया जाएगा जो चौथे वर्ष से आरंभ होगा तथा निर्यातक द्वारा निधि की पहली किस्त प्राप्त किए जाने से आठ वर्ष की अवधि में समाप्त होगा।

4.अ.11. प्रत्येक छह माह की समाप्ति के उपरांत निर्यातक को संचालित किए गए क्रियाकलापों की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रगति रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करनी है ।

4.अ.12. प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर इस संबंध में एक व्यय विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि ऋण का उपयोग संस्वीकृत प्रयोजन के लिए पूर्णत: किया गया है जिसके साथ आगामी चरण के लिए प्रत्याशित व्यय के लिए दस्तावेजी साक्ष्य भी संलग्न किया जाना चाहिए।

4.अ.13. स्कीम का लाभ उठाने के लिए निर्यात-बाध्यता ऋण राशि की पहली किस्त को जारी किए जाने से आठ वर्ष की अवधि के भीतर लिए गए ऋण की राशि का पांच गुना है।

4.अ.14. भुगतान केवल भारतीय रुपयों में ही किया जाएगा तथा यह बैंक गारंटी पर आधारित होगा जिसको जब कभी अपेक्षित हो, नवीकृत/वर्द्धित की जानी है। पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के मामले में, बैंक के पास निर्यातक द्वारा निष्पादित की गई बैंक गारंटी को समाप्त करने तथा समस्त ऋण राशि की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित है।

4.अ.15. समुचित दस्तावेजी साक्ष्यों तथा संतोषजनक आवधिक निष्पादन रिपोर्टों के अभाव में, बोर्ड भुगतान किए जाने वाली किस्तों में कमी कर देगा अथवा सहायता को बंद कर देगा।

4.अ.16 निर्यात-बाध्यता का अनुपालन करने में कंपनी की ओर से विफलता रहने के फलस्वरूप एक बार पुनर्भुगतान किया गया ऋण पुन: जारी नहीं किया जाएगा।

5. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मसालों का प्रसंस्करण

5.अ.1 इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के मसाला कृषकों, सहकारियों, कृषक संघों, मसाला कृषकों का प्रतिनिधित्व करनेवाला एन जी ओ एवं वैयक्तिक उद्यमियों को प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जाती है जिनमें अत्यंत उच्च निवेश की आवश्यकता नहीं है। लाभार्थी से अपेक्षित है कि प्रसंस्करण सुविधाओं के पूर्ण होने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर सहायता अनुदान से पांच गुना मूल्य के मसालों की और मसाला उत्पादों का निर्यात कर निर्यात बाध्यता की पूर्ति करें। निर्यात बाध्यता के निर्वहन के लिए, लाभार्थी द्वारा प्रत्यक्षत: निष्पादित किए गए निर्यात को तथा लाभार्थी द्वारा निर्यात(मानित निर्यात) के लिए दूसरे निर्यातकों को की गई आपूर्तियों पर विचार किया जाएगा।

5.अ. 2 सहायता अनुदान के लिए आवेदन की तारीख के पश्चात् प्रसंस्करण सुविधाओं/उपकरणों की स्थापना पर किए गए व्ययों पर दावे ही सहायता अनुदान के भुगतान के प्रयोजनार्थ परियोजना की लागत का आकलन करने के लिए अर्हक होंगे। योजना अवधि के दौरान सभी प्रकार की प्रसंस्करण सुविधाओं की लागत का 33 प्रतिशत जो प्रति लाभार्थी

अधिकतम 50.00 लाख रुपए के अध्यधीन होगा। कृषक दलों के मामले में, सहायता सभी प्रकार की प्रसंस्करण सुविधाओं की लागत के 50 प्रतिशत तक होगी, जो अधिकतम 50.00 लाख रुपए के अध्यधीन होगी।

5.अ. 3 स्कीम के अंतर्गत कार्यकरण की प्रक्रिया तथा आवेदन प्रस्तुत किया जाना अवसंरचना विकास स्कीम की भांति ही है।

6. उत्पाद विकास और अनुसंधान

6.अ.1 इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बोर्ड उत्पाद अनुसंधान एवं विकास कार्य चलाने के लिए निर्यातकों/अनुसंधान संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सहायता के प्रमुख क्षेत्र हैं:

- नए मसाले उत्पादों/अनुप्रयोगों के विकास केलिए करने अथवा पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं का उपयोग
- पर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं रखने वाली कंपनियों द्वारा इन-हाउस अनुसंधान कार्यक्रम
- प्रतिष्ठित तृतीय पक्षकारों के माध्यम से मसालों की चिकित्सकीय विशेषताओं की स्थापना और विधि मान्यता के लिए नैदानिक परीक्षण
- उपभोक्ता देशों में पेटेंटिंग और उत्पाद पंजीकरण

6.अ. 2 स्पाइसेस बोर्ड आवेदन की परीक्षा करने तथा प्रस्ताव को संतोषजनक पाए जाने के उपरांत प्रस्ताव को गुणागुण के आधार पर कार्य आरंभ करने के लिए 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन जारी करेगा।

6.अ. 3 सभी पंजीकृत निर्यातक तथा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाएं इस कार्यक्रम के अधीन सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

6.अ.4 उत्पाद अनुसंधान और विकास की लागत की पूर्ति करने के लिए योजना अवधि के दौरान लागत के 50 प्रतिशत की दर से सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जो प्रतिलाभार्थी अधिक 25.00 लाख रुपए के अध्यधीन है। बोर्ड द्वारा सहायता-योजना के अधीन सभी भुगतान क्रॉस किए गए चेक या बैंक-ट्रांसफरके रूप में होंगे।

6.अ.5 उत्पाद अनुसंधान और विकास के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु कोई निर्यात-बाध्यता विनिर्दिष्ट नहीं की गई है।

6.अ.6 पात्र निर्यातक/अनुसंधान संस्थाएं बोर्ड को आवेदित कर "सिद्धान्त रूप में" प्रस्ताव केलिए अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं ।

आवेदक निम्नलिखित दस्तावेजों को तीन प्रतियों में बोर्ड को प्रस्तुत करेगा:

1. विनिर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन
2. अनुसंधान संस्थाओं/इन-हाउस प्रयोगशाला वैज्ञानिकों द्वारा मूल्यांकित परियोजना रिपोर्ट
3. परियोजना में शामिल वैज्ञानिकों के बारे में संक्षिप्त विवियरन ।

6.अ.7 लाभार्थी निम्नलिखित दस्तावेज़ों के अलावा परियोजना के लिए निर्धारित उन सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा जो परियोजना के संबंध में बोर्ड द्वारा मांगे जाएंगे तथा साथ ही निम्न दस्तावेज भी प्रस्ताव किए जाएंगे:-

(क) उत्पाद अनुसंधान और विकास की अंतिम रिपोर्ट

(ख) परियोजना की समाप्ति के दौरान किए गए भुगतानों के मूल बिल तथा प्रमाण

(ग) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया व्यय का विवरण

(घ) विनिर्मित उत्पादों के नमूने (यथा लागू)

(ड.) उत्पाद की दावा की गई विशेषताओं को स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की प्रतियां (यथा लागू)

(च) उत्पाद की पेटेंटिंग के लिए दस्तावेजी साक्ष्य (यथा लागू)

6.अ. 8 पूर्णता रिपोर्ट तथा दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर, बोर्ड लाभार्थी को अथवा नामित एजेंसी/संस्था को पात्र अनुदान जारी करेगा।

7. विपणि विकास सहायता (एमडीए)

मार्गनिर्देश:

विपणि विकास सहायता भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित की जा रही है। सभी पंजीकृत निर्यातकों को विदेशों में निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों के लिए सहायता उपलब्ध है, जैसे ईपीसी नेतृत्ववाले व्यापार प्रतिनिधि मंडलों, क्रेता-विक्रेता भेंट, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता।

पात्रता:

1. पूर्ववर्ती वर्ष में 15.00 करोड़ रुपए एफओबी निर्यात मूल्य रखने वाली निर्यातक कंपनियाँ।

2. 12 माह की सदस्यता पूर्ण करनेवाले और संबन्धित ई पी सी के साथ नियमित रूप से निर्यात विवरणियाँ दाखिल करनेवाले निर्यातक

3. यह सहायता इकनॉमी एक्सकर्शन श्रेणी में हवाई यात्रा के व्यय केलिए अथवा निर्मित सज्जित स्टॉल के चार्ज निम्नलिखित उच्चतम सीमा में अनुमेय होंगी:-

फोकस एलएसी *	-	1,80,000 रुपए
फोकस अफ्रीका* (वाना क्षेत्रों सहित)	-	1,50,000 रुपए
फोकस सीआईएस*	-	1,50,000 रुपए
फोकस आसियान +2*	-	1,50,000 रुपए
सामान्य क्षेत्र*	-	80,000 रुपए

उपर्युक्त क्रियाकलापों में किसी कंपनी-विशेष की प्रतिभागिता निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:

(1) ईएफसी आदि के नेतृत्व वाले व्यापार शिष्टमंडलों के लिए केवल 70,000 रुपए अधिकतम (फोकस एलएसी के मामले में 1,00,000 रुपए) तक का इकॉनामी एक्सकर्शन श्रेणी द्वारा हवाई-किराया अनुमेय होगा। व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता केलिए, प्रतिपूर्ति ऊपर की तालिका में उल्लिखित उच्चतम सीमा के अध्यधीन अनुमेय होगी।

(2) एक वित्तीय वर्ष में प्रतिभागिता की अधिकतम अनुमेय संख्या पांच होगी जैसा कि ऊपर तालिका में दर्शाया गया है(सामान्य क्षेत्र के दौरे केलिए कोई यात्रा-अनुदान अनुमेय नहीं है)। तथापि, एलएसी को शामिल करते हुए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए, जिनमें बड़ी मात्रा में रोज़गार सृजन क्षमता विद्‌यमान है, अर्थात् कृषि जिसमें खाद्‌य मदें, हस्तशिल्प, हथकरघा, कालीन, चर्म और सूक्ष्म वन उत्पाद शामिल है, सामान्य क्षेत्रों में 2(दो) प्रतिभागिता अनुमेय होगी जिसके लिए प्रत्येक प्रतिभागिता को 1,50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। तथापि इस प्रावधान के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले निर्यातक, चाहे वे इन प्रतिभागिताओं के अतिरिक्त हो, केवल 2 फोकस क्षेत्र प्रतिभागिताओं के लिए ही पात्र होंगे।

(3) किसी नियमित कर्मचारी/निदेशक/भागीदार/कंपनी के स्वामी के लिए ही सहायता अनुमेय होगी। विदेशी राष्ट्रीयता वाले अथवा विदेशी पासपोर्ट धारण करने वाले निर्यातक के लिए सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

(4) संबन्धित ई पी सी आदि में सूचना आवेदन की प्राप्ति समाबंधित संगठन के कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति की तारीख एवं देश से प्रस्थान की तारीख को छोड़कर, कम से कम चौदह दिनों की स्पष्ट अग्रिम सूचना के साथ प्राप्त होना अनिवार्य है।

(5) कंपनी भारत की विदेश व्यापार नीति अथवा निर्यात और आयात व्यापार से संबंधित किसी अन्य विधि के अंतर्गत जांचाधीन/आरोपित/अभियोजित/निषिद्ध/ काली सूची में नहीं होगी।

(6) ई पी सी आदि के सदस्य निर्यातक भी, आई टी पी ओ द्वारा विदेश में उपयोजित कार्यक्रमों की प्रतिभागिता केलिए एम डी ए सहायता हेतु पात्र होंगे। उनके आवेदन/दावे संबंधित ई पी सी आदि द्वारा भेजे जाएंगे/ की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(7) अधिकतम एमडीए सहायता में सभी सरकारी निकायों/एफआईईओ/ईपीसी/पण्य बोर्डों/निर्यात विकास प्राधिकारियों/आईटीपीओ आदि से प्राप्त एमडीए सहायता शामिल होगी।

(8) किसी विशेष व्यापार मेले/प्रदर्शनी में अधिकतम तीन प्रतिभागिताएं एमडीए सहायता के लिए पात्र होंगी तथा तीन बार सहायता प्राप्त करने के पश्चात् जिसमें किसी विशेष मेले/प्रदर्शनी के लिए पूर्व के मामले में शामिल हैं, निर्यातक कंपनियों को स्व-वित्त पोषण आधार पर उस मेले, यदि कोई है, में प्रतिभागिता करनी होगी।

निर्यातकों को सहायता की प्रतिपूर्ति केलिए दस्तावेज़न

(i) निर्यातकों द्वारा 14 दिनों की अग्रिम सूचना देते हुए संबन्धित ई पी सी आदि के विधिवत् पूरी की गई और हस्ताक्षरित आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इ-मेइल के ज़रिए इलेक्ट्रोनिक रूप में भी सूचना और आवेदन भेजना चाहिए।

(ii) आवेदन की प्राप्ति के उपरांत संबंधित संगठन/ईपीसी अधिमानत: सूचना की प्राप्ति के पाँच कार्यदिवसों के भीतर निर्यात को अनुमोदन पत्र जारी करेगा।

(iii) सम्यक रूप से पूर्ण घोषणा तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र के साथ दावा निर्यातक द्वारा क्रियाकलाप समाप्त होने के बाद भारत लौटने के तत्काल पश्चात्, परंतु भारत में उनकी वापसी के 45 दिन के भीतर नीचे उल्लिखित कागज़ातों के साथ संबंधित ईपीसी को प्रस्तुत किया जाएगा:

- समान देश/देशों के साथ एमडीए सहायता प्राप्त करके पूर्व में संचालित किए गए क्रियाकलापों के विवरण

- पासपोर्ट की स्पष्ट फोटोप्रति जिमसें भारत से प्रस्थान तथा भारत में आगमन के बारे में तथा दौरा किए गए देशों की प्रविष्टियां दर्शाई गई हों। यदि पासपोर्ट में विभिन्न देशों की यात्रा के बारे में आगमन/प्रस्थान के आंकड़े न हों, तो कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य जैसे होटल बिल, बोर्डिंग पास, लॉजिंग पास आदि।

- यात्रा के दौरान प्रयोग किया गया मूल हवाई टिकट/जैकेट। यदि मूल हवाई टिकट/जैकेट खो गया है, तो उसकी एक स्पष्ट फोटोप्रति तथा उसके साथ संबंधित एयरलाइन से निम्नलिखित को दर्शाने वाला एक प्रमाणपत्र प्रेषित किया जाए :

    - यात्री का नाम
    - टिकट संख्या
    - फ्लाइट संख्या
    - भारत से प्रस्थान की तारीख
    - दौरा किए गए सेक्टर/देश
    - किस श्रेणी में यात्रा की गई
    - यात्रा किए गए सेक्टरों/देशों के लिए इकानॉमी एक्सकर्शन श्रेणी किराया

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, स्व-प्रमाणित फोब वैल्यू एक्सपोर्ट आंकड़े, वर्षवार।

- प्रतिभागिता किए गए कार्यकलाप तथा हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट।

विधिवत रूप से भरे गए तथा सभी दृष्टि से पूर्ण दावा प्रपत्र भारत में वापसी के 90 दिन के भीतर संबंधित ईपीसी, एफआईईओ आदि को प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। तथापि, 90 दिन की समाप्ति के पश्चात् 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किए गए दावों पर अथवा ऐसे दावों पर जिनके संबंध में संबंधित ईपीसी, एफआईईओ आदि द्वारा कमियां सूचित की गई हैं, 10 प्रतिशत की कटौती के साथ विचार किया जाएगा। जो दावे भारत लौटने के 120 दिन के पश्चात् प्रस्तुत किए जाएंगे, उन पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। दावों पर ईपीसी, एफआईईओ आदि द्वारा यथासूचित किसी कमी को इस संबंध में निदेश प्रदान किए जाने की

तारीख से 30 दिन के भीतर पूर्ण कर दिया जाना चाहिए, जिसके न करने पर संबंधित ईपीसी, एफआईईईओ आदि द्वारा इस संबंध में आगे कोई सूचना अथवा अनुस्मारक दिए बिना अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

=============================

अनुबंध- अ

अवसंरचना विकास के अंतर्गत आवेदकों के लिए जांच सूची

(कृपया ....के लिए आवेदन के साथ संलग्न मदों के सामने संगत बॉक्स में सही का निशान लगाएं)

1. दो प्रतियों में पूर्णरूप से भरा हुआ आवेदन प्रपत्र। आवेदक, प्राधिकृत हस्ताक्षरी यदि कोई हो, आपका नाम और पूरा डाक पता साफ और पठनीय रुप में बड़े अक्षरों में फोन नंबर, फैक्स, ई-मेल और मोबाईल नंबर, सहित निर्धारित स्थान पर लिखा जाए।
2. स्पाइस हाउस प्रमाणन के प्रमाण-पत्र की प्रति।
3. आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेज जिस कंपनी के लिए सहायता-अनुदान का अनुरोध किया गया है, उसके प्रबंध निदेशक/निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरी के द्वारा साक्ष्यांकित होने चाहिए।
4. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) यदि आवेदक वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता ले रहा है, तो चार्टर्ड इंजीनियर अथवा वित्तीय संस्थान(बैंक) द्वारा हस्ताक्षरित परियोजना मूल्यांकन प्रमाण-पत्र।
5. स्वामित्व प्रमाण-पत्र की साक्ष्यांकित प्रति, यह स्थापित करने के लिए कि भूमि आवेदक की है।
6. यदि भूमि पट्टाधारित भूमि है तो न्यूनतम 10 वर्षों की भूमि प्रलेख/पट्टा प्रलेख की साक्ष्यांकित प्रति ।
7. यदि भूमि दस्तावेज किसी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत किया गया है तो उसके अंग्रेजी पाठ की नोटरीकृत प्रति। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुदित अँग्रेजी पाठ संलग्न किए जाए।
8. आवेदक के नाम से भूमि/भवन के संबंध में, कर प्राप्ति की साक्ष्यांकित प्रति।
9. बोर्ड द्वारा जारी सीआरईएस की स्व-साक्ष्यांकित प्रतियां।
10. विधिवत् हस्ताक्षरित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की दो प्रतियां, अनुमानित लागत (घटकवार) प्रमाणित विस्तृत प्लांट व मशीनरी डिजाइन के स्कैच प्लान प्रोसेस-फलो डायग्राम की दो प्रतियां। यदि आवेदक वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता ले रहा है तो परियोजना रिपोर्ट, चार्टर्ड इंजीनियर अथवा वित्तीय संस्थान (बैंक) द्वारा मूल्यांकित और प्रमाणित होनी चाहिए। यदि उपलब्ध हो तो उपकरण का ब्यौरा दर्शाते हुए पैम्फलेट संलग्न किया जाए।

11. उपकरणों/मशीनरी की सूची जिनके लिए XI वीं योजना अवधि के दौरान बोर्ड से सहायता-अनुदान प्राप्त किया गया है।

12. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण-पत्र /एसएसआई प्रमाण-पत्र की साक्ष्यांकित प्रति यह सिद्ध करने के लिए कि आवेदक मसाले उत्पादकों का निर्माता है।

13. फूड बिसिनेस ऑपरेटर (एफबीओ) के रूप में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण (यदि कोई हो) की साक्ष्यांकित प्रति।

14. एचएसीसीपी/आईएसओ 22000/ आईएसओ 14000/ जीएमपी/जीएचपी/एसक्यूएफ जैसे संगत, यदि कोई हो, प्रमाण-पत्रों की साक्ष्यांकित प्रति।

15. यदि सावधी ऋण लिया गया है तो बैंक/वित्तीय संस्थान से सावधी ऋण मंजूरी पत्र की प्रति।

16. संगठन के निगमन/पंजीकरण प्रमाण-पत्र, ज्ञापन और संस्था के बहिर्नियम, भागीदारी विलेख की साक्ष्यांकित प्रति।

17. विगत दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखे का लेखा परेक्षा विवरण

18. परियोजना के लिए वांछित प्लांट और मशीनरी तथा उपकरणों आदि की आपूर्तिकर्ताओं (न्यूनतम दो कोटेशन) से मूल कोटेशन वैद्यता सहित (जनरेटर नियंत्रण पैनल, केबल ट्रेंचिंग सहित) (न्यूनतम 90 दिन सहित) स्पष्ट उल्लिखित की जाए। आवेदन की स्वीकृति के दिन कोटेशन की न्यूनतम 60 दिनों की वैद्यता होनी चाहिए।

19. अनुदानों के दोहरेपन के निराकरण के लिए लाभार्थी को नोटरी पब्लिक द्वारा नोटरीकृत रुपये 100 के मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर निष्पादित शपथ-पत्र देना होगा कि संगठन ने केन्द्र सरकार/भारत सरकार के संगठन/एजेंसी और राज्य सरकार से इस प्रयोजन/कार्यकलाप/इन घटकों के लिए परियोजना के आंशिक अथवा पूर्ण, जिनके लिए वह बोर्ड से वित्तीय सहायता मांग रहा है, कोई अनुदान/सहायता प्राप्त नहीं की है/ आवेदन नहीं किया है अथवा कोई अनुदान/आर्थिक सहायता **प्राप्त नहीं करेगा।** फॉर्मेट अनुबंध-'आ' में दिया गया है।

सहायता-अनुदान निर्मुक्ति की प्रक्रिया

1. आवेदक को, यदि दो सालों की वैद्यता अवधि से परियोजना पूर्ण करने की समय सीमा अधिक होती है तो, बोर्ड द्वारा जारी सैद्धांतिक अनुमोदन-पत्र और/अथवा विस्तार-पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

2. क्रय किए गए उपकरणों के बीजक और बिल की मूल प्रतियों सहित स्वःप्रमाणित सूची।

3. आपूर्तिकर्ता का स्थापना प्रमाण-पत्र/डीपीआर के अनुसार चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा परियोजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र।

4. परियोजना के लिए व्यय किए गए वास्तविक खर्च का नवीनतम सीए प्रमाण-पत्र।

5. आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान को दर्शाते हुए मूल बैंक विवरणी जो बैंक के प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर की गई हो।

6. अनुदान सहायता की मंजूरी के बाद, आवेदक स्पाइसेस बोर्ड के पक्ष में एककरार निष्पादित करेगा जिसमें योजना की निबंधन और शर्ते और दिशा-निर्देश होंगे जिनके अंर्तगत लाभार्थी आवेदक को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, और लाभार्थी द्वारा निर्धारित निर्यात दायित्व पूरा करने तक की अवधि केलिए ब्याज हिस्से की सुरक्षा हेतु अनुदान-सहायता के 110% की राशि के बराबर बैंक गारंटी भी देगा।

<u>अनुबंध-आ</u>

(रुपये100/- मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर)

<u>शपथ-पत्र</u>

मैं..............................सुपुत्र...............निवासी ....
मेसर्स........................... का निदेशक/मालिक एतद् द्वारा शपथ लेता हूं और निम्नलिखित कथन करता हूं।

यह कि मैं यहां अभिसाक्षी हूं और नीचे दी गई सूचना से पूर्णतः अवगत हूं।

1) यह कि स्पाइसेस बोर्ड जिसके लिए वित्तीय सहायता मांगी जा रही है उसके लिए यूनिट/संगठन हे उस प्रयोजन अथवा कार्यकलाप के लिए किसी अन्य मंत्रालय अथवा भारत सरकार के विभाग अथवा राज्य सरकार अथवा इसकी एजेंसियों में कोई सहायता-अनुदान / इमदाद प्राप्त नहीं की है अथवा आवेदन नहीं किया है।

2) स्पाइसेस बोर्ड को प्रस्तुत सभी कागजात, दस्तावेज सत्य और सही हैं और कुछ भी छुपाया नहीं गया है, अन्यथा कथन नहीं है।

अभिसाक्षी

उपरोक्त 1 और 2 सूचना सही और सत्य है

अभिसाक्षी

शपथ पूर्वक पुष्टि की गई और आज...........................दिन को मेरे समक्ष हस्ताक्षरित किया गया।

(नोटरी)